R.M.M. Law college - Saharsa.
Manvendra Mandal
Part time Lecturer

Subject- Contract-II
part - II

अभिकर्ता कौन है (Who is Agent)

साधारणतया जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो विधि की दृष्टि में वह अभिकर्ता नहीं माना जा सकता है। जैसे एक नौकर मालिक के दुकान में कार्य करता है। वह केवल अपने दायित्व का निर्वहन करता है, लेकिन उसे किसी तीसरे के साथ संव्यवहार स्थापित करने की शक्ति नहीं है। अभिकर्ता केवल उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो मालिक द्वारा अधिकृत किये जाने पर तीसरे व्यक्ति के साथ संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है। जरूरत पड़ने पर परिवर्तन एवं समाप्त करने की शक्ति भी निहित होती है। इस प्रकार अभिकर्ता एक ऐसी कड़ी है जो मालिक को तीसरे व्यक्ति के साथ मिलाती है।

इस सम्बन्ध में सामण्ड व विलियम का कथन है कि "अभिकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो विधिक रूप से दूसरे व्यक्ति, जिसे मालिक कहते हैं, उसके संविदा में प्रविष्ट होने के समस्त शक्तियों या कार्यों को करने के लिए अधिकृत होता है"

धारा 182 अभिकर्ता को परिभाषित करता है। इसके अनुसार "अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे व्यक्ति से प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है या नियुक्त किया जाता है।" इस प्रकार अभिकर्ता-

(i) एक व्यक्ति ही होता है जिसमें कृत्रिम व्यक्ति भी सम्मिलित है।

(ii) जो एक अन्य व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से नियोजित किया जाता है यहाँ तक कि तीन सहस्वामी संयुक्त रूप से एक अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते हैं।

(iii) नियोजित करने का उद्देश्य उस व्यक्ति (प्रतिनियोक्ता) का कार्य करना होता है।

(iv) तीसरे व्यक्ति के साथ संव्यवहार स्थापित करना या उसका प्रतिनिधित्व करना होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यापार सम्बन्धी मामलों में 'सलाहकार' अभिकर्ता नहीं होता है। अभिकर्ता की स्थिति का मूल तत्व यह है कि वह अपने कार्यो द्वारा मालिक को तीसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वह अपनी अधिकार शक्ति के अन्तर्गत कार्य करते हुए मालिक को अपने कार्यों के लिए बाध्य करता है।

Scanned with CamScanner

Q2 अभिकर्ता कौन है? (Who is Agent)

अतः वह स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है अर्थात न तो वह अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है और न तो उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अनधिकृत कार्य के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रतिनिधित्व गुण तथा मालिक से प्राप्त शक्ति अभिकर्ता के विशेष लक्षण है।

हलाँकि कृत्रिम व्यक्ति जैसे निगम भी अभिकर्ता की कोटि में रखा जा सकता है। इसका निर्धारण कि निगम अभिकर्ता है या नहीं, उसके कार्य के आधार पर किया जाता है एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि निगम उन परिस्थितियों में राज्य का अभिकर्ता माना जायगा, यदि वह व्यापारिक कार्य न करके सरकारी कार्य करता है।

Scanned with CamScanner